



नैक द्वारा 'बी' ग्रेड प्रत्यायित
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय

जंगल धूसड़- गोरखपुर

मो. : 7897475917, 9794299451

Website: www.mpm.edu.in
E-mail : mpmpg5@gmail.com

पत्रांक :

दिनांक : 21.08.2018

प्रकाशनार्थ

छात्र संघ चुनाव 30 अगस्त को

महाराणा प्रताप पी0जी0 कालेज जंगल धूसड़ गोरखपुर में छात्र संघ चुनाव 30 अगस्त को होगा। तीन दिन तक चलने वाली चुनाव प्रक्रिया 28 अगस्त को कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ प्रारम्भ हो जाएगी। महाविद्यालय में आज से ही चुनाव-आचार संहिता लागू हो गयी। उक्त जानकारी छात्र संघ चुनाव अधिकारी श्री नंदन शर्मा ने दी। श्री शर्मा ने आज छात्र संघ चुनाव कराने की तिथि घोषित करने के साथ सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया जारी करते हुए बताया कि 28 अगस्त को चुने गए कक्षा प्रतिनिधि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री पद हेतु नामांकन 28 अगस्त को ही अपराह्न 3:00 बजे से 5:00 बजे तक कर सकेंगे। 29 अगस्त को प्रातः 9:00 बजे से 10:00 बजे तक पर्चा वापसी तथा 10:30 से 11:30 बजे तक पर्चों की जाँच कर वैध प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। अपराह्न 1:30 बजे से प्रत्याशियों का योग्यता भाषण होगा। 30 अगस्त को प्रातः 8:30 बजे से 2:00 बजे तक मतदान तथा 3:00 बजे से मतगणना प्रारम्भ कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। छात्रसंघ संविधान एवं चुनाव आचार संहिता कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। चुनाव आचार संहिता का उलंघन करने वाले विद्यार्थी न तो कक्षा प्रतिनिधि हो सकेंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे।

(डॉ. राजेश शुक्ला)

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी



नैक द्वारा प्रत्यायित श्रेणी "बी"

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूसड़- गोरखपुर

मो. : 7897475917, 9794299451

Website: www.mpm.edu.in
E-mail : mpmpg5@gmail.com

पत्रांक :

दिनांक : 21.08.2018

चुनाव प्रक्रिया एवं आचार संहिता

चुनाव प्रक्रिया — चुनाव प्रक्रिया तीन दिनों में 28 अगस्त से 30 अगस्त तक पूर्ण की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी सूचनाएं एवं निर्देश सूचना पट पर चस्पा कर दिया जाएगा। छात्र-संघ के निदेशक चुनाव अधिकारी होंगे।

प्रतिनिधि चयन — 28.08.2018 सभी कक्षा प्रतिनिधि छात्र-संघ संविधान के अनुसार चुने जायेंगे।

पदाधिकारी नामांकन — 28.08.2018 सायं 03:00 बजे से 05:00 बजे तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री हेतु महाविद्यालय के छात्र/छात्रा में से एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक द्वारा प्रत्याशिता निर्धारित प्रारूप पर किया जा सकेगा। प्रत्याशिता प्रारूप पर प्रत्याशी की सहमति भी अनिवार्य होगी।

नामांकन वापसी — 29.08.2018 प्रातः 09:00 बजे से 10:00 बजे तक प्रत्याशी द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस ली जा सकेगी। तत्पश्चात 10:30 से 11:00 बजे तक प्रत्याशियों के आवेदन/पर्चे की जांच होगी।

योग्यता भाषण — 29.08.2018 को वैध प्रत्याशियों की सूची घोषित होते ही 01:30 बजे से योग्यता भाषण प्रारम्भ होगा। जिसमें प्रत्याशी साधारण सभा के समक्ष अपनी बात 10 मिनट में रख सकता है।

मतदान — तीसरे दिन 30.08.2018 प्रातः 08:30 से अपराह्न 01:30 बजे तक मतदान होगा।

मतगणना एवं परिणाम — 30.08.2018 अपराह्न 02:30 बजे से परिणाम आने तक मतगणना चलती रहेगी। मतगणना के पश्चात चुनाव अधिकारी उसी दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री को प्रमाण-पत्र दे देंगे।

चुनाव आचार संहिता — छात्र-संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी की प्रत्याशिता स्वतः समाप्त हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता में निम्नलिखित आचरण, व्यवहार अपेक्षित होंगे—

- (क) चुनाव प्रचार हेतु कोई भी प्रत्याशी पोस्टर, बैनर पर्चा, दिवाल लेखन आदि किसी भी प्रकार का व्यय साध्य तरीका नहीं अपनायेगा।
- (ख) कक्षाओं में उद्बोधन, परिसर में एकाधिक के साथ समूह बनाकर चलना, किसी बाहरी को परिसर में बुलाना आदि प्रतिबन्धित रहेगा।
- (ग) महाविद्यालय परिक्षेत्र में किया गया कोई भी अमर्यादित आचरण, व्यवहार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।
- (घ) योग्यता भाषण का आयोजन ही प्रचार का एकमात्र माध्यम होगा।
- (ङ) चुनाव अधिकारी के निर्णय पर प्राचार्य के पास अपील की जा सकेगी। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। प्राचार्य के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

श्री नन्दन शर्मा
(चुनाव अधिकारी)